संख्या-34/2021/550/छप्पन-2021-47/2015

प्रेषक,

डॉ सत्य प्रकाश तिवारी,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन
उ0प्र0 लखनऊ

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 15 मार्च , 2021

विषय: राजकीय Hawker 900XP. VT-UPM, MSN HA-100 वायुयान के Main and Nose Landing Gear Assembly एवं इनके Side/ Drag Stay Assembly के ओवरहाल कराये जाने हेतु पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 582/CADUP/ENG(PUR)/UPM-08/2020 दिनांक 02 मार्च, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें अवगत कराया गया है कि राजकीय वायुयान हॉकर 900 एक्स0पी0-वी0टी0यू0पी0एम0 के छः कम्पोनेन्ट क्रमशः 03 लैण्डिंग गियर तथा 03 Side/Drag Stay Assembly के इंस्पेक्शन / ओवरहाल कार्य हेतु मेसर्स टेक्सट्रान एविएशन, यू0एस0ए0 को प्राप्त बजटरी कोट के आधार पर कार्य हेतु कुल USD 125000.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78.00 प्रति USD की विनिमय दर से रूपये 97,50,000/- मात्र तथा अनुषांगिक व्यय के रूप में रूपये 9,36,000/- तथा फर्म को अग्रिम भुगतान करने हेतु कुल रूपये 1,06,86,000/- मात्र की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-88/2020/2157/ छप्पन-2020-47/2015 दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 द्वारा प्रदान की गई थी | शासनादेश में दी गई स्वीकृति के आधार पर फर्म को यू0एस0 डॉलर 125000.00 का 70 प्रतिशत अर्थात् USD 87500.00 भारतीय मुद्रा में रूपये 78.00 प्रति USD की विनिमय दर से रूपये 68,25,000/- मात्र का आहरण कर फर्म को अग्रिम भुगतान किया गया है। फर्म को 30 प्रतिशत शेष USD 37500.00 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 78.00 प्रति USD की विनिमय दर से रूपये 29,25,000/- होता है तथा अनुषांगिक व्यय के रूप में रूपये 9,36,000/- का आहरण एवं भुगतान नहीं किया गया है अर्थात उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 द्वारा स्वीकृत धनराशि में से रु0 38,61,000/- अभी अवशेष बचे हुए हैं | फर्म द्वारा Strip Down के पश्चात् Final Cost के आधार पर उपलब्ध करायी गयी दर USD 202267.00 में से पूर्व में भुगतानित USD 87500.00 भारतीय मुद्रा में 78/- प्रति USD की विनिमय दर से भुगतान की गयी धनराशि रु0 68,25,000/- तथा शेष USD 114767.00 भारतीय मुद्रा में 76/- प्रति USD की विनिमय दर से रूपये 87,22,292/- का भुगतान निर्माता फर्म मेसर्स टेक्सट्रान एविएशन, विचिटा, यू0एस0ए0 को तथा अनुषांगिक व्यय के रूप में कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स सी0जी0 लॉजिस्टिक प्रा0लि0, नई दिल्ली को रू0 13,81,783/- मात्र को सम्मिलित करते हुए कुल रूपये 1,69,29,075/- (रूपये एक करोड़ उनहत्तर लाख उनतीस हजार पचहत्तर मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति दी जानी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

अत: श्री राज्यपाल प्रश्नगत कार्य हेतु फर्म द्वारा फाइनल कास्ट स्टीमेट द्वारा प्रेषित की गई दरों के अनुसार Hawker 900XP. VT-UPM, MSN HA-100 वायुयान के Main and Nose Landing Gear Assembly एवं इनके Side/ Drag Stay Assembly के ओवरहाल के कार्य में 03 लैण्डिंग गियर तथा 03 Side/Drag Stay Assembly के इंस्पेक्शन/ओवरहाल पर होने कुल व्यय USD 202267.00 में से पूर्व में भुगतानित USD 87500.00 भारतीय मुद्रा में 78/- प्रति USD की विनिमय दर से भुगतान की गयी धनराशि रु0 68,25,000/- तथा शेष USD 114767.00 भारतीय मुद्रा में 76/- प्रति USD की विनिमय दर से रूपये 87,22,292/- का भुगतान निर्माता फर्म मेसर्स टेक्सट्रान एविएशन, विचिटा, यू0एस0ए0 को तथा अनुषांगिक व्यय के रूप में कस्टम हाउस एजेन्ट मेसर्स सी0जी0 लाजिस्टिक प्रा0लि0, नई दिल्ली को रू0 13,81,783/- मात्र को सम्मिलित करते हुए कुल रूपये 1,69,29,075/- (रूपये एक करोड़ उनहत्तर लाख उनतीस हजार पचहत्तर मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति के साथ 88/2020/2157/ छप्पन-2020-47/2015 दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 द्वारा द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 1,06,86,000/- (रूपये एक करोड़ छ लाख छियासी हजार मात्र) में से पूर्व में भुगतानित USD 87500.00 भारतीय मुद्रा में 78/- प्रति USD की विनिमय दर से भुगतान की गयी धनराशि रु0 68,25,000/- तथा उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत धनराशि में से अप्रयुक्त धनराशि रु0 38,61,000/- को समायोजित करते हुए शेष धनराशि रू0 62,43,075/- (रूपए बासठ लाख तैंतालीस हज़ार पचहत्तर मात्र) को व्यय/अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त कम्पोनेन्ट्स का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान फर्म को करने के उपरान्त स्वीकृत धनराशि के समायोजन की स्थिति से यथासमय शासन को अवगत कराया जाएगा। निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ो में भी समायोजन करा दिया जाए।

6- उक्त अग्रिम का आहरण वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69 दिनांक 25/10/1983, शा0 सं0 ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69 दिनांक 10/06/2011 एवं शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1) दिनांक 18/09/2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगा। वित्तीय स्वीकृति एवं अग्रिम आहरण की स्वीकृति सम्बन्धी शर्तें शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार यथावत रहेंगी |

7- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 38 के अधीन पूँजीगत ''लेखा लेखाशीर्षक - 5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-04-हेलीकाप्टर/वायुयान की विशेष मरम्मत-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या- ई-7- 476/दस-2021 दिनांक 15 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव

संख्या: 34/2021/ 550(1)/छप्पन-2021-47/2015-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।